Central Depository Services (India) Limited

Convenient ⌖ Dependable ⌖ Secure

COMMUNIQUÉ TO REGISTRAR AND TRANSFER AGENTS

CDSL/OPS/RTA/POLCY/2019/143 **December 24, 2019**

GOVERNMENT OF INDIA NOTIFICATION REGARDING THE INDIAN STAMP RULES - 2019

Issuers/R&T Agents are advised to note that pursuant to the amendments to the Indian Stamp Act, 1899 notified in The Finance Act, 2019 by Ministry of Law and Justice dated February 21, 2019 , in exercise of the powers conferred by section 73A of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government through notification dated December 10, 2019 has notified the Indian Stamp (Collection of stamp-duty through Stock Exchanges , Clearing Corporations and Depositories) Rules 2019 to regulate the liability of the instruments of transaction in stock exchanges and depositories to duty. (copy of notification is enclosed as 'Annexure A').

The amendments seek to introduce a single point for collection of stamp duty by authorized entities for issuance and transfer of securities and subsequent disbursement of the duty collected to the respective states.

The said rules shall come into force on **Thursday, January 09, 2020**.

The detailed procedure/guidelines for collection of stamp duty shall be notified separately.

All Issuers/R&T Agents are requested to take a note of the above and inform your client companies accordingly.

Queries regarding this communiqué may be addressed to CDSL – Helpdesk on (022) 2305-8624, 2305-8639, 2305-8642, 2305-8663, 2305-8640, 2300-2041 or 2300-2033. Emails may be sent to: helpdesk@cdslindia.com .

sd/-

Ashish Bhatt
Vice President – Operations

Annexure A

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 712] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2019/ अग्रहायण 19, 1941
No. 712] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2019/AGRAHAYANA 19, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 901(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 73क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्टॉक एक्सचेंज और निक्षेपागारों में शुल्क के संव्यवहार लिखतों के दायित्वों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगमों और निक्षेपागारों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क संग्रहण) नियम, 2019 है।

   (2) यह 9 जनवरी, 2020 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं-** (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

   (क) "अधिनियम" से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) अभिप्रेत है;

   (ख) "क्रेता" से :—

   (i) प्रतिभूति क्रय करने वाला व्यक्ति; या

   (ii) अग्रिम चरण में (किसी मुद्रा युग्म कोटेशन में आने वाली पहली मुद्रा) क्रय करने वाला व्यक्ति; या

   (iii) किसी नियत प्लवमान स्वैप लिखत में नियत दर संदाय करने वाला व्यक्ति; या

   (iv) किसी प्लवमान – प्लवमान स्वैप लिखत में निविदा करने वाला कोई एक व्यक्ति; या

   (v) निगम बंधपत्रों में रैपो उधार लेने वाला व्यक्ति,

   अभिप्रेत है

(ग) "संग्रहकर्ता अभिकर्ता" से कोई स्टॉक एक्सचेंज या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम या कोई निक्षेपागार अभिप्रेत है, जो अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार के निमित्त प्रतिभूतियों पर स्टाम्प शुल्क का संग्रह करने के लिए सशक्त है;

(घ) "अधिवास राज्य" से:-

(i) निपटान के दिन भारत में "स्थायी पता" के रूप में उपदर्शित क्रेता का राज्य और उसके उपलब्ध न होने की दशा में स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम या निक्षेपागार के अभिलेखों के अनुसार भारत में उपदर्शित "पत्राचार का पता" अभिप्रेत है;

(ii) यदि भारत में क्रेता का "स्थायी पता" या "पत्राचार का पता" उपलब्ध नहीं है, राज्य, जिसमें सदस्य का रजिस्ट्रीकृत पता है, जिसके माध्यम से व्यापार या अंतरण निष्पादित किया जाना था और उसके उपलब्ध न होने की दशा में राज्य, जिसमें सहभागी या अभिरक्षक, जिसके माध्यम से व्यापार किया जाना था, का जिसमें रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है।

(ङ) किसी स्वैप करार के संबंध में "नकद प्रवाह का प्रथम चरण" से क्रेता के लिए संविदा का नोशनल या समग्र मूल्य अभिप्रेत है;

(च) "बाजार अंतरण" से किसी स्टॉक एक्सचेंज में किए गए संव्यवहारों को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियों का अंतरण या किसी स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम को रिपोर्ट किया गया अंतरण अभिप्रेत है, जिन पर या तो स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम में अपेक्षित स्टाम्प शुल्क का संग्रह किया है;

(छ) "सदस्य" से किसी स्टॉक एक्सचेंज का व्यापार करने वाला सदस्य या दलाल या किसी समाशोधन निगम समाशोधन सदस्य अभिप्रेत है, जो अपने ग्राहकों के निमित्त के साथ स्वयं के लिए व्यापार करता है और इसके अंतर्गत व्यापारिक-सह-समाशोधक सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, जो प्रत्यक्षत: स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज की उपविधियों के अनुसार भाग लेता है;

(ज) "बाजार इतर अंतरण" से किसी बाजार अंतरण से भिन्न प्रतिभूतियों का अंतरण अभिप्रेत है;

(झ) "सहभागी" से निक्षेपागार अधिनियम, 1966 (1966 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन परिभाषित किसी निक्षेपागार का कोई सहभागी अभिप्रेत है;

(ञ) "प्रधान अधिकारी" से संग्रहकर्ता अभिकर्ता द्वारा अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजन के लिए या तो नाम या पदनाम द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ट) "विक्रेता" से किसी क्रेता के साथ किसी संव्यवहार में प्रतिपक्ष अभिप्रेत है;

(ठ) "व्यवस्थापन दिवस" से कोई दिवस अभिप्रेत है, जिसको,--

(i) किसी स्टॉक एक्सचेंज या किसी प्राधिकृत समाशोधन निगम द्वारा विक्रेता को निधियों का और इन निधियों की तत्स्थानी अंडरलाईंग प्रतिभूतियों का परिदान पूरा करके किसी संव्यवहार का निपटान किया जाना है; या

(ii) किसी स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम को यह रिपोर्ट की जाती है कि प्रतिभूतियों में संव्यवहार पूरा किया गया है किंतु प्रतिभूति को किसी भी निक्षेपागार में डी-मैट प्ररूप में धृत नहीं किया गया है; या

(iii) डी-मैट प्ररूप में धृत प्रतिभूतियों के संबंध में किसी निक्षेपागार में कोई निर्गम या अंतरण किया गया है, जिसकी पश्चातवर्ती रूप से किसी स्टॉक एक्सचेंज या किसी समाशोधन निगम को रिपोर्ट की जाती है।

2. इन नियमों में उपयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए शब्द और पद किंतु जो अधिनियम या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) या संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) और उसके अधीन विरचित नियमों व विनियमों में परिभाषित हैं, के क्रमश: वहीं अर्थ होंगे, जो उनके उन अधिनियमों, नियमों और विनियमों में हैं।

3. स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम द्वारा **स्टाम्प शुल्क का संग्रहण**-(1) किसी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किन्हीं प्रतिभूतियों के विक्रय, जिसके अंतर्गत किसी रजिस्ट्रीकृत पूलित ठहराव या स्कीम या त्रिपक्षीय रेपो की सूचीबद्ध इकाईयों के संबंध में विक्रय सम्मिलित है, के संबंध में अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उद्गृहणीय स्टाम्प शुल्क का संग्रहण, व्यवस्थापन के दिवस को किसी स्टॉक एक्सचेंज या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम द्वारा अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर अधिनियम की धारा 29 में विनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों से किया जाएगा।

(2) विकल्प लिखतों की दशा में, जिसके अंतर्गत ऐसे विकल्प सम्मिलित हैं, जिनका शून्य या लगभग शून्य प्रीमियम है, विकल्प संविदा के क्रेता को स्पष्ट रूप से प्रत्येक संघटक संव्यवहार पर उसके द्वारा संदेय प्रीमियम की स्पष्ट रूप से पहचान करनी होगी और उसकी संग्रहकर्ता अभिकरण को रिपोर्ट करनी होगी।

(3) स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से निष्पादित निजी संस्थानों या निविदा प्रस्ताव, खुला प्रस्ताव या विक्रय के लिए प्रस्ताव से उद्भूत संव्यवहारों की दशा में स्टाम्प् शुल्क प्रस्तावक से अर्जित या प्रस्तावित मूल्य पर एक बार प्रस्ताव के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर विक्रीत या प्रतिभूति के बाजार मूल्य पर संग्रहीत की जाएगी।

(4) स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट की गई प्रतिभूतियों के संव्यवहारों की दशा में स्टाम्प शुल्क संपूर्ण विक्रय प्रतिफल पर तब संग्रहीत किया जाएगा जब ऐसा अंतरण रिपोर्ट किया जाता है, चाहे प्रतिफल आंशिक या किश्तों के रूप में भविष्य में संदत्त किया जाए।

(5) नियम 5 के उप-नियम (6) के अधीन निक्षेपागारों द्वारा रिपोर्ट किए गए संव्यवहारों की दशा में स्टॉक एक्सचेंज स्टाम्प शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा।

(6) स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट किया गया विक्रय प्रतिफल वास्तविक विक्रय मूल्य के रूप में माना जाएगा।

(7) डी-मैट रूप में धृत प्रतिभूतियों को अंतवर्लित करने वाले संव्यवहारों की दशा में स्टॉक एक्सचेंज या कोई समाशोधन निगम सुसंगत निक्षेपागार को उसके मंच पर निष्पादित बाजार नियंत्रणों के बारे में उस दिन सूचित करेगा जिस दिन समाशोधन निगम द्वारा व्यवस्थापन देयता अवधारित की जाती है, जिस पर स्टाम्प शुल्क उद्गृहणीय है।

(8) ऐसे संव्यवहारों की दशा में जो केवल स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट किए जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा स्टाम्प शुल्क का संग्रहण किया जाएगा और रिपोर्ट करने वाले मध्यवर्ती स्टॉक एक्सचेंज को ग्राहकों के निवास के ब्यौरे रिपोर्ट करेगा।

4. संव्यवहारों का परिदान आधार पर या गैर-परिदान आधार पर अंतरीय शुल्क आदि अवधारित करना-

(1) किसी स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम के माध्यम से प्रतिभूतियों के किसी विशिष्ट अंतरण की प्रकृति परिदान आधार पर मानी जाए या गैर-परिदान आधार पर मानी जाए, समाशोधन निगम द्वारा व्यवस्थापन के समय परिदान को शासित करने वाले स्थापित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(2) समाशोधन निगमों की आंतरिक संचालनशीलता की दशा में स्टॉक एक्सचेंजों के बीच किसी ग्राहक के व्यापार को यह अवधारित करने के लिए विचार में लिया जाएगा कि उसका परिणाम परिदान है या नहीं।

5. अंतरणकर्ता से निक्षेपागारों द्वारा स्टाम्प शुल्क का संग्रहण - (1) अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उद्गृहणीय स्टाम्प शुल्क का संग्रहण, सभी बाजार अंतरणों, जिसमें निक्षेपागार प्रणाली में प्रतिभूतियों का अंतरण अंतवर्लित है, जिसके अंतर्गत डी-मैट या इलेक्ट्रानिक रूप में काउंटर पर व्यापार भी है, के निष्पादन से पूर्व किया जाएगा।

(2) कोई निक्षेपागार परिदान अनुदेश पर्ची (इलैक्ट्रानिक या अन्यथा) में अंतरणकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिफल रकम पर स्टाम्प शुल्क का संग्रहण करेगा और निक्षेपागार को यथा रिपोर्ट किया गया प्रतिफल वास्तविक प्रतिफल रकम में रूप में मानी जाएगी

(3) अंतर निक्षेपागार बाजार - अन्यत्र अंतरणों की दशा में, अंतरिती का निक्षेपागार एक दिन के भीतर अंतरणकर्ता के निक्षेपागार को अंतरिती के निवास राज्य के बारे में सूचित करेगा जिससे अंतरणकर्ता का निक्षेपागार संग्रहीत स्टाम्प शुल्क को क्रेता राज्य को प्रेषित कर सके।

(4) कोई निक्षेपागार निम्नलिखित के लिए एक प्रणाली बनाएगा,-

(क) बाजार अंतरणों और विक्रय प्रतिफल की पहचान करना

(ख) इस प्रणाली में प्रतिभूतियों के अंतरण के कारणों और प्रतिफल रकम, यदि लागू हो पूर्ण या आंशिक रूप में संदत्त की जानी है या किश्तों में भविष्य में संदत्त की जानी है, का आज्ञापक प्रकटीकरण।

(5) यदि प्रतिफल का संदाय भाग में या किश्तों में किया जाता है, स्टांप शुल्क निक्षेपागार द्वारा पूरे विक्रय प्रतिफल पर जब अंतरण प्रभावी हो वसूला जाएगा।

(6) निक्षेपागार, शेयर बाजार या समाशोधन निगम, जैसा भी मामला हो, को उन अप्रत्यक्षीकृत अंतरणों के बारे में सूचित करेगा जिसे बाद में शेयर बाजार अथवा समाशोधन निगम को रिपोर्ट करना होगा जिस पर स्टांप शुल्क पहले ही वसूला गया था।

(7) गिरवी मांगने के अनुसरण में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में, प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर गिरवीदारों से शुल्क वसूला जाएगा।

6. जारीकर्ताओं से निक्षेपागारों द्वारा स्टांप शुल्क वसूलना:- (1) नई प्रतिभूति के सजृन पर अधिनियम की धारा 9 क की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन उदग्रहणीय स्टांप शुल्क तथा प्रतिभूतियों के जारी होने पर निक्षेपागारों में अभिलेखों के परिवर्तन, निक्षेपागारों की प्रणाली में किसी संव्यवहार के कार्यान्वयन से पूर्व जारीकर्ता से वसूला जाएगा।

(2) प्रतिभूतियों के जारीकर्ता निक्षेपागारों को प्रतिभूतियों के आबंटन के समय प्रतिभूतियों को प्रारंभ में अथवा आगे जारी करने या उनके निजी नियोजन और खुले प्रस्ताव या निविदा प्रस्ताव या विक्रय के प्रस्ताव के पश्चात किए गए क्रय के संबंध में आबंटन सूची प्रस्तुत करेगा।

(3) निक्षेपागार निगमित कार्यों जैसे शेयर विखंडन, शेयर समेकन, विलयन और अर्जन अथवा ऐसे समतुल्य कार्यों आदि के कारण प्रतिभूतियों के सृजन अथवा नाश पर स्टांप शुल्क की वसूली नहीं करेगा यदि इसमें हिताधिकारी स्वामित्व का कोई परिवर्तन अंतर्वलित नहीं है।

परंतु निगमित कार्य के भाग के रूप में किसी निवेशक का कोई नया मामला है तो, ऐसे मामले स्टांप शुल्क के अधीन होंगे।

(4) निक्षेपागारों के माध्यम से संचालित निविदा प्रस्ताव या खुला प्रस्ताव या विक्रय का प्रस्ताव या निजी नियोजन बिक्री से उत्पन्न संव्यवहार के मामले में प्रस्तावकर्ता से प्रस्ताव सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात, प्रस्ताव मूल्य पर अर्जित अथवा विक्रीत प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर स्टांप शुल्क वसूला जाएगा।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 236 के अधीन बहुसंख्य शेयरधारकों द्वारा अल्पसंख्य शेयरधारकों के शेयरों के अर्जन के मामले में निगमित कार्य के माध्यम से कार्यान्वित ऐसे अंतरणों पर निक्षेपागारों द्वारा स्टांप शुल्क अंतरक के बजाये जारीकर्ता से वसूला जाएगा।

7. राज्यों को स्टांप शुल्क का अंतरण:- (1) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार वसूली अभिकर्ता राज्य सरकार को स्टांप शुल्क अंतरित कर देगा।

(2) संबंधित राज्य सरकार के खाते में संग्रहीत स्टांप शुल्क को वसूली अभिकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अंतरित करेगा जैसा भारतीय रिजर्व बैंक या संबंधित राज्य सरकार द्वारा वसूली अभिकर्ता को सूचित किया गया है।

(3) वसूली अभिकर्ता द्वारा संग्रहीत स्टांप शुल्क के मूल्य को निकटतम रूपए में पूर्णांककर दिया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम में रूपए के भाग में पैसे है, तब यदि वह भाग 50 पैसे हो अथवा अधिक हो उसे एक रुपए में बढ़ा दिया जाएगा तथा यदि वह भाग 50 पैसे से कम हैं उसे अनदेखा कर दिया जाएगा।

(4) वसूली अभिकर्ता सरलीकरण प्रभार के लिए राज्य सरकार की ओर से संग्रहीत स्टांप शुल्क राज्य सरकार को अंतरित करने से पहले 0.2 प्रतिशत घटा सकते हैं।

(5) राज्य सरकार इन नियमों के अनुसार स्टांप शुल्क की वसूली के उद्देश्य से प्रधान अधिकारी से सभी शासकीय पत्र व्यवहार के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।

(6) वसूली अभिकर्ता इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर अथवा अधिनियम की धारा 2 के खंड (27) के उप खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना के पंद्रह दिवस के भीतर एक प्रधान अधिकारी नियुक्त करेंगे।

(7) वसूली अभिकर्ता इस अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने तथा इन्हें उनकी वेबसाइटों पर प्रसारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

(8) राज्य सरकार की ओर से वसूले गए स्टांप शुल्क का उपयोग किसी अन्य वसूली अभिकर्ता द्वारा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और उसे राज्य सरकार को ऐसी रकम पर उपार्जित ब्याज के साथ अंतरित कर दिया जाएगा।

8. **स्टांप शुल्क की विवरणी:-** (1) वसूली अभिकर्ता, राज्य सरकार को विभिन्न संव्यवहारों पर संग्रहीत स्टांप शुल्क की विवरणी व्यतिक्रमियों की सूची सहित प्रति माह के आधार पर इन नियमों से संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जिसे उत्तरवर्ती मास के सात दिवस के भीतर मैन्यूअल रूप (हाथ) से अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) वसूली अभिकर्ता संबंधित राज्य सरकार तथा प्रत्येक राज्य के महालेखाकार को उस वित्तीय वर्ष के तुरन्त बाद 30 जून को अथवा उससे पहले उस वित्तीय वर्ष के दौरान संग्रहीत स्टांप शुल्क की समेकित विवरणी मैन्यूअल (हाथ से) रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत करेगा।

(3) राज्य सरकार एक ऑनलाइन सुविधा प्रस्तुत कर सकती है जिसके माध्यम से वसूली अभिकर्ता राज्य-वार मासिक और वार्षिक विवरणी अपलोड कर पाएंगे।

(4) वसूली अभिकर्ता के निम्नानुसार मामले में, विवरणी को निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किया जाएगा,

(i) जब एक कंपनी है, प्रबंधन निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति पर पदाश्रित निदेशक द्वारा; और

(ii) किसी अन्य मामले में, उसके प्रधान अधिकारी द्वारा

9. गलत प्रविष्टियां:- (1) यदि किसी अंतरण में गलती से यह उपदर्शित किया गया है कि इसमें विक्रय प्रतिफल अंतवर्लित नहीं है और व्यक्ति उसका परिशोधन चाहता हो, वह मास के समाप्त होने के तीन हफ्तों के भीतर वूसली अभिकर्ता को सूचित करते हुए तथा अपेक्षित स्टांप शुल्क का संदान करते हुए ऐसा करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति अपना अधिवास राज्य परिवर्तित करता है तो वूसली अभिकर्ता परिवर्तित पते के अनुसार राज्य सरकार को स्टांप शुल्क उस तारीख से जब वसूली अभिकर्ताओं की अभिलेखे अद्यतन की गई हो, अंतरित कर देगा।

(3) यदि राज्य सरकार को कोई अंतरण गलती से कर दिया गया हो अथवा किसी संव्यवहार को उलटने का कानूनी आदेश अथवा न्यायालय का आदेश है जिस पर पहले ही स्टांप शुल्क संग्रहीत करके राज्य सरकार को अंतरित कर दिया गया था, वसूली अभिकर्ता गलती का पता चलने के पश्चात अव्यवहितपूर्ण विप्रेषित किए जाने वाली रकम में समायोजन करके समतुल्य रकम वापिस लेकर परिशोधित करेगा, जब तक कि ऐसे गलत संदायों की क्षतिपूर्ति न हो जाए, परंतु इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार को गलती अथवा कानूनी आदेशों अथवा न्यायालय के निदेशों के बारे में लिखित में सूचित किया गया हो और यदि राज्य सरकार वसूली अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत कारणों से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वसूली अभिकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं।

(4) किसी विवाद अथवा न्यायनिर्णयन कार्रवाई के अनुसरण में देय स्टांप शुल्क की नई अथवा संशोधित मांग, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वसूल कर ली जाएगी।

[फा. सं. एस. 33013/3/2019 एसटी-I-डीओआर]

ऋत्विक पाण्डेय, संयुक्त सचिव

प्ररूप

(नियम 8 देखें)

[वसूले गए स्टांप शुल्क की विवरणी (मासिक/वार्षिक)]

शेयर बाजार / निक्षेपागार का नाम:

शेयर बाजार / निक्षेपागार का पता:

स्टांप शुल्क संग्रहण के लिए प्राधिकृत समाशोधन निगम का नाम:

प्राधिकृत समाशोधन निगम का पता:

अवधि जिसके लिए स्टांप शुल्क संग्रहण की रिपोर्ट की गई है:

संग्रहीत स्टांप शुल्क के ब्यौरे:-

क्र. सं.	प्रतिभूति कोड	प्रतिभूति का नाम (डिबेंचर/शेयर आदि)	संव्यवहारों का मूल्य जिस पर स्टांप शुल्क उद्ग्रहणीय है	लागू स्टांप शुल्क की दर	स्टांप शुल्क के कुल बिल की रकम	कुल संग्रहीत स्टांप शुल्क	कुल स्टांप शुल्क जिनकी वसूली नहीं की गई	टिप्पणी, यदि कोई हों

स्टांप शुल्क के अंतरण के ब्यौरे:

क्र. सं.	कुल संग्रहीत स्टांप शुल्क (क)	कटौती की गई प्रसुविधा प्रभार का रकम (ख)	राज्य सरकार को अंतरित कुल रकम (क-ख)

चूककर्ताओं के ब्यौरे:

क्र. सं.	जमाकर्ताओं के ब्यौरे			टिप्पणी, यदि कोई हों
	नाम	पता	पैन	

सत्यापन

मैं ______________________ (पूरा नाम), सुपुत्र/सुपुत्री__________________ अपने ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप में दी गई सूचना सत्य तथा पूर्ण है तथा उसमें उपदर्शित संव्यवहारों और अन्य विशिष्टियों पर संग्रहीत स्टांप शुल्क के कुल मूल्य का सही उल्लेख किया गया है तथा यह भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अध्याय-II के भाग कक तथा भारतीय स्टांप (स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम और निक्षेपागारों के माध्यम से स्टांप शुल्क का संग्रहण) नियम, 2019 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी, _________________ के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ और इस विवरणी को बनाने और इसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ।

(संग्रहणकर्ता अभिकर्ता के प्राधिकृत
अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2019

G.S.R. 901(E).—In exercise of the powers conferred by section 73A of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the liability of instruments of transaction in stock exchanges and depositories to duty, namely:—

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Indian Stamp (Collection of Stamp-Duty through Stock Exchanges, Clearing Corporations and Depositories) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the 9 day of January, 2020.

2. Definitions- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899);

(b) "buyer" means,-

(i) the person purchasing securities; or

(ii) the person buying the base currency (the first currency appearing in a currency pair quotation) in the forward leg; or

(iii) the person paying the fixed rate in a fixed-floating swap instrument; or

(iv) any one of the contracting persons in a floating-floating swap instrument; or

(v) borrower of repo on corporate bonds;

(c) "collecting agent" means a stock exchange or clearing corporation authorised by it or a depository which is empowered to collect stamp-duty on securities on behalf of the State Government in accordance with the provisions of the Act and these rules;

(d) "domicile State" means: -

(i) the State of the buyer as it appears in the "permanent address" in India on the settlement day, and in case the same is not available, as it appears in the "correspondence address" in India, as per the records of stock exchange or clearing corporation or depository ;

or

(ii) in case the State of buyer is not available in the "permanent address" or "correspondence address" in India, the State having the registered office of the member, through whom the trade or transfer was executed, and in case the same is not available, the State having the registered office of the participant or custodian through whom the trade was effected.

(e) "first leg of the cash flow" in respect of a swap agreement means the notional or gross value of the contract for the buyer;

(f) "market transfer" means transfer of securities effected towards the completion of a transaction carried out on the stock exchange or as reported to the stock exchange or clearing corporation on which either the stock exchange or clearing corporation collects the required stamp-duty;

(g) "Member" means a trading member or broker of a stock exchange or a clearing member of a clearing corporation, who trades on behalf of his clients as well as for himself and shall include a trading- cum -clearing member or any person directly participating on the stock exchange as per the bye-laws of the stock exchange;

(h) "off-market transfer" means transfer of securities other than a market transfer;

(i) "participant" means a participant of a depository defined under clause (g) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1966 (22 of 1996);

(j) "principal officer" means any officer appointed either by name or by designation, by a collecting agent for the purposes of the Act and these rules;

(k) "seller" means the counter-party in a transaction with the buyer;

(l) "settlement day" means the day on which, -

(i) a transaction is settled by a stock exchange or an authorised clearing corporation, by completing the delivery of funds to the seller and delivery of underlying securities corresponding to those funds to the buyer; or

(ii) it is reported to a stock exchange or a clearing corporation specifying that the transaction in securities has been carried out provided the security is not held in dematerialised form with any of the depositories; or

(iii) an issue or transfer has been effected in a depository in respect of securities held in dematerialised form which may have to be later reported to the stock exchange or a clearing corporation.

2. Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, or the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Securities and Exchange Board of India Act, 1992(15 of 1992), or the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or the Payments and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007) and the rules and regulations framed there under, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts, rules and regulations.

3. **Collection of stamp-duty by stock exchange or clearing corporation.**—(1) The stamp-duty leviable under clause (a) of sub-section (1) of 9A of the Act in respect of sale of any securities made through the stock exchange including sale in respect of any listed units of any registered pooled arrangements or scheme, or tripartite repo, shall be collected on the settlement day, by a stock exchange or clearing corporation authorised by it, at the rates specified in Schedule I of the Act, from the concerned persons specified in section 29 of the Act.

(2) In case of option instruments including instruments with zero or near zero premium, the buyer of the option contract has to clearly identify premium payable by him on each constituent transaction and report it to the collecting agent.

(3) In case of the transactions arising from tender offer, open offer or offer for sale or private placements executed through stock exchange, the stamp-duty shall be collected from the offeror, on the market value of the security being acquired or sold out, at the offer price, once the offer is successfully completed.

(4) In case of transactions in securities reported to a stock exchange, the stamp-duty shall be collected on the entire sale consideration when transfer is reported, even if the consideration is paid in part or in instalments to be paid in future.

(5) In case of transactions reported by the depositories under sub-rule (6) of rule 5, the stock exchange shall not collect the stamp-duty.

(6) The sale consideration reported to a stock exchange shall be considered as the actual sale value.

(7) A stock exchange or a clearing corporation shall intimate the relevant depository about the market transfers executed on its platform on the day on which settlement obligation is determined by the clearing corporation, on which stamp-duty is leviable, in case of transactions involving securities held in dematerialised form.

(8) In the case of transactions which are merely reported to the stock exchange, the stamp-duty shall be collected by the stock exchange and the reporting intermediaries shall report domicile details of the clients to the stock exchange.

4. **Determining transactions as on delivery basis or non-delivery basis, differential duty, etc.-**

(1) The nature of a particular transfer of securities through a stock exchange or clearing corporations whether to be treated as on delivery basis or on non-delivery basis shall be determined by the clearing corporation at the time of settlement, as per established principles governing delivery.

(2) In case of inter-operability of clearing corporations, the trades of a client across the stock exchanges shall be considered for determining whether the same would result in a delivery or not.

5. **Collection of stamp-duty by depositories from transferor.**—(1) The stamp-duty leviable under clause (b) of sub-section (1) of section 9A of the Act shall be collected before execution of all off-market transfers involving transfer of securities in the depository system including over the counter trades occurring in dematerialised or electronic form.

(2) A depository shall collect stamp-duty on the consideration amount specified by the transferor in the delivery instruction slip (electronic or otherwise) and the consideration as reported to the depository shall be considered as the actual consideration amount.

(3) In case of inter-depository off-market transfers, the transferee's depository shall intimate the transferor's depository, within one day, about the transferee's domicile State so as to enable the transferor's depository to remit the stamp-duty so collected to the buyer's State.

(4) A depository shall put in place a system for,-

(a) identifying market transfers and sale consideration;

(b) mandatory disclosure of the reasons for transfer of securities in its system and the consideration amount, if applicable, whether to be paid in full or in part, or in instalments to be paid in future.

(5) If the consideration is paid in part or in instalments, stamp-duty shall be collected by the depository on the entire sale consideration when a transfer is effected.

(6) A depository shall intimate the stock exchange or clearing corporation as the case may be, about those dematerialised transfers, which may have to be later reported to the stock exchange or clearing corporation, on which stamp-duty has already been collected by it.

(7) In the case of transfer of securities pursuant to invocation of pledge, duty shall be collected from the pledgee on the market value of the securities.

6. **Collection of stamp-duty by depositories from issuer.**- (1) The stamp-duty leviable under clause (c) of sub-section (1) of section 9A of the Act on creation of new security and change in records in the depository upon issue of securities shall be collected from issuer before executing any transaction in the depository system.

(2) Issuer of securities shall submit to the depository, the allotment list in respect of initial or further issue of securities or its private placement and purchases made after an open offer or tender offer or offer for sale, at the time of allotment of securities.

(3) A depository shall not collect stamp-duty on creation or destruction of securities on account of corporate actions such as stock split, stock consolidation, mergers and acquisitions, or such similar actions, etc., if it does not involve a change in beneficial ownership:

Provided that if there is a fresh issue to an investor as part of a corporate action, such issue shall be subject to stamp-duty.

(4) In case of transactions arising from tender offer or open offer or offer for sale or private placement conducted through a depository, stamp-duty shall be collected from the offeror, on the market value of the security being acquired or sold out, at the offer price, once the offer is successfully completed.

(5) In case of acquisition of shares of minority shareholders by majority shareholders under section 236 of Companies Act, 2013 (18 of 2013), implemented by way of a corporate action, the stamp-duty on such transfers shall be collected by the depository from the issuer, instead of from the transferor.

7. **Transfer of stamp-duty to States.**- (1) The collecting agent shall transfer the stamp-duty to the State Government in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 9 of the Act.

(2) The collecting agent shall transfer the stamp-duty collected in the account of concerned State Government with the Reserve Bank of India or any scheduled commercial bank, as informed to the collecting agent by the Reserve Bank of India or the concerned State Government.

(3) The value of stamp-duty collected by collecting agent shall be rounded off to the nearest rupee, and for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

(4) The collecting agent may deduct 0.2 per cent of the stamp-duty collected on behalf of the State Government towards facilitation charges before transferring the same to such State Government.

(5) The State Government may appoint a nodal officer for all official communications with the principal officers for the purposes of collection of stamp-duty in accordance with these rules.

(6) The collecting agent shall appoint a principal officer within fifteen days from the date of publication of these rules or within fifteen days of a notification issued under sub-clause (ii) of clause (27) of section 2 of the Act.

(7) The collecting agent shall take all necessary steps to implement the provisions of the Act and these rules and also disseminate the same on their websites.

(8) The stamp-duty collected on behalf of State Government shall not be utilised by any collecting agent for any other purpose and shall be transferred to the State Government along with interest earned on such amount, if any.

8. **Return of stamp-duty.**—(1) The collecting agent shall submit a return of stamp-duty collected on various transactions to the State Government including details of defaulters in the Form appended to these rules on a monthly basis to be furnished manually or electronically within seven days of the succeeding month.

(2) The collecting agent shall furnish a consolidated return of stamp-duty collected during a financial year manually or electronically on or before the 30th June immediately following that financial year to the concerned State Government and the Accountant General of each State.

(3) The State Government may provide an online facility by which a collecting agent shall upload State wise monthly and yearly returns.

(4) The return shall be signed and verified in the case of a collecting agent, —

(i) being a company, by the Managing Director or a designated Director thereof in his absence; and

(ii) in any other case, by the principal officer thereof.

9. **Erroneous entries:-** (1) If a transfer was erroneously indicated as not involving sale consideration and the person wishes to rectify it, he shall do so, by informing the collecting agent within three weeks from the end of the month and pay the required stamp-duty.

(2) If a person changes his domicile State, the collecting agent shall transfer the stamp-duty to that State Government as per the changed address, from the day the records of collecting agents are updated.

(3) If a transfer was erroneously made to a State Government or there is a statutory order or orders of the court for reversal of a transaction on which stamp-duty was already collected and transferred to the State Government, the collecting agent shall rectify the same by withdrawing an equivalent amount by making adjustments in the next immediate remittance occurring after the detection of the error, till such erroneous payments are compensated for, provided the concerned State Government has been informed in writing about the error or statutory orders or directions of the court in this regard and in case, the State Government is not satisfied with the reasons submitted by the collecting agent, it shall proceed against the collecting agent as per the provisions of the Act.

(4) Any fresh or revised demand of stamp-duty payable pursuant to any dispute or adjudication proceedings may be recovered by the State Government in accordance with the provisions of the Act.

[F. No. S.33013/3/2019 ST-1-DoR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

FORM

(*See* rule 8)

[RETURN OF STAMP-DUTY COLLECTED (Monthly/Yearly)]

Name of the stock exchange / depository:

Address of the stock exchange / depository:

Name of clearing corporation authorised to collect the Stamp duty:

Address of the authorised clearing corporation:

Period for which stamp-duty collection is being reported:

Details of stamp-duty collected:

Sl. No	Security Code	Nature of the security (debenture, share, etc.)	Value of transactions on which stamp-duty is leviable	Rate of Stamp-duty applied	Total billed amount of stamp-duty	Total stamp-duty collected	Total stamp-duty not recovered	Remarks, if any

Details of transfer of stamp-duty:

Sl.No.	Total Stamp-duty collected (A)	Amount of facilitation charges deducted (B)	Total Amount transferred to the State Government (A-B)

Details of defaulters:

Sl. No.	Details of the defaulters			Remarks, if any
	Name	Address	PAN	

VERIFICATION

I, _______________ (full name in block letters), son/ daughter of ___________ solemnly declare to the best of my knowledge and belief that the information given in this Form is correct and complete and that the total value of stamp-duty collected on the transactions and other particulars shown therein are truly stated and the same are in accordance with provisions of Part AA of Chapter II of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and the Indian Stamp (Collection of Stamp-Duty through Stock Exchanges, Clearing Corporations and Depositories) Rules, 2019.

I further declare that I am making this return in my capacity as ____________ and also competent to make this return and verify it.

(Name and signature of authorised officer of collecting agent)

Date:

Place:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA